ANNEXURE-1

1/

संख्या- 4675 /सत्तर-6-2004-2§337§2004

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2004

विषय:- एन0सी0टी0ई0के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक- 9618/सम्बद्धता/2004, --------- दिनांक: 21-10-2004 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित सेण्ट जोसेफ कालेज फार वूमेन, गोरखपुर -------------------------- को बी0एड0 पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

§1§- उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षापरिषद जयपुर द्वारा किया जायेगा।

§2§- उक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा।

§3§- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2§166§2002, दिनांक: 27 सितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2§166§2002 दिनांक:13 जनवरी, 2003 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।

§4§- उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वालासमस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवंसम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

§5§- संस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं

...2/-

एन0सी0टी0ई0द्वारा समय-समय पर जारी नीति विषयक आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।

§6§- उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा बशर्ते कि ऐसा किसी अधिनियम में ही न अपेक्षित हो।

§7§- राज्य सरकारएवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि,भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

§8§- मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकरखतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी विकास प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

§9§- उक्त पाठ्यक्रम का संचालन संस्था द्वारा अनापत्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि स्थित मौजा अराजी -छावनी सिविल लाईन गोरखपुर प्लाटा संख्या 89 में सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर पर निर्मित भवन में किया जायेगा। अन्य भूखण्ड या स्थान से परसंचालन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति आदेश स्वत: निरस्त हो जायेगा।

§10§- मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 के क्रम में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-591/2004-सोलह-1-5§डब्लू-48§/2003,दिनांक:20फरवरी,2004 के अनुसार गठित शुल्क निर्धारण समिति के समक्ष संस्था अपनी प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर प्रस्तुत करेगी तथा अन्य आवश्यक सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत किये जायेगें।शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक शुल्क संस्था/महाविद्यालय द्वारा नही लिया जायेगा। यदि इसप्रकार निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क अथवा किसी अन्य मद यथा डोनेशन के रूप में कोई भी संस्था लेती है तो यह माना जायेगा कि संस्था कैपिटेशन फीस ले रही है। ऐसी स्थिति में संस्था दण्डित की जायेगी और यह प्रदत्त की जाने वाली अनापत्ति स्वत: समाप्त हो जायेगी।

§11§- स्ववित्त पोषित संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे का निर्धारण मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक:14-8-2003 के क्रम में

...3/-

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संस्था को यदि कोई आपत्ति होगी तो वह प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-592/2004-सोलह-1-5(डब्लू-48)/2003, दिनांक:20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना आवेदन करेगें। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(12)- मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक: 14-8-2003 के क्रम में मैनेजमेंट कोटा में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगें तथा यह प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी होगी। किसी छात्र/छात्राओं का मैनेजमेंट कोटा में महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन आवश्यक होगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त वर्णित मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संस्था द्वारा या तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी परीक्षा के आधार पर या एसोसिएशन आफ कालेज के द्वारा ली गयी प्रवेश परीक्षाके आधार पर निर्धारित मेरिट के अनुसार मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश दिया जायेगा। यदि एसोसिएशन आफ कालेज द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाआयोजित की जाती है तो ऐसी परीक्षा की पारदर्शिता देखने तथा प्रस्तावित प्रश्नपत्र, पेपर सेटर, परीक्षा आदि की जानकारी प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-592/2004-सोलह-1-5(डब्लू-48)/2003, दिनांक:20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित समिति से की जायेगी। यह समिति ऐसी प्रवेश परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत होगी जिससे कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से संचालित हो सके।

(13)- यदियह पाया जाता है कि मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक:14-8-2003 के द्वारा निर्धारित पारदर्शी तथा मेरिट के आधार पर नहीं की जाती है तो सम्बन्धित संस्था की अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-4675 (1)/सत्तर-6-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर क्षेत्रीय समिति ए-46 शान्तिपथ तिलकनगर, जयपुर।
2- प्रबन्धक, प्रस्तावित सेण्ट जोसेफ कालेज फार वूमेन, गोरखपुर।
3- निदेशक, उच्चशिक्षा, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
4- क्षेत्रीय उच्चशिक्षाअधिकारी, गोरखपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव